



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 317 राँची, बुधवार,	20 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
	10 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना
29 मई, 2026

सं०सं०-03/नि०सं०-09-09/2022 का०-3532--स्व० विकास तिर्की, भूतपूर्व झाप्र०से०
(कोटि क्रमांक-54/20) तत्कालीन उप निदेशक (प्रशासन), श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के
सेवाकाल से संबंधित अनिर्णित अवधियों के संबंध में निम्नवत निर्णय लिया जाता है :-

क्र०	अवधि	निर्णय
1.	(i) दिनांक 25.11.2007 से 11.12.2007 तक (कुल 17 दिन) (ii) दिनांक 01.01.2013 से 31.01.2013 तक (कुल 31 दिन) (iii) दिनांक 31.12.2014 से 13.08.2015 तक (कुल 226 दिन) (iv) दिनांक 14.10.2017 से 05.12.2017 तक (कुल 53 दिन) (v) दिनांक 01.12.2018 से 31.12.2018 तक (कुल 31 दिन) (vi) दिनांक 01.03.2019 से 17.03.2019 तक (कुल 17 दिन) (vii) दिनांक 25.01.2022 से 13.02.2022 तक (कुल 20 दिन) (viii) दिनांक 16.02.2022 से 07.03.2022 तक (कुल 20 दिन) (ix) दिनांक 29.03.2022 से 31.03.2022 तक (कुल 03 दिन) (x) दिनांक 02.09.2022 से 10.11.2022 तक (कुल 70 दिन) (xi) दिनांक 18.03.2023 से 21.03.2023 तक (कुल 04 दिन)	झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के अंतर्गत असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
2.	(i) दिनांक 14.02.2022 से 15.02.2022 तक (कुल 02 दिन) (ii) दिनांक 08.03.2022 से 28.03.2022 तक (कुल 21 दिन) (iii) दिनांक 11.11.2022 से 17.03.2023 तक (कुल 127 दिन)	झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 14 (बी) के अंतर्गत पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।
3.	(i) दिनांक 14.08.2015 से 30.10.2015 तक (कुल 78 दिन)	कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।
4.	(i) दिनांक 06.02.2018 से 22.03.2018 तक (कुल 45 दिन) (ii) दिनांक 04.05.2018 से 29.05.2018 तक (कुल 26 दिन) (iii) दिनांक 03.08.2023 से 15.08.2023 तक (कुल 13 दिन) (iv) दिनांक 17.08.2023 से 27.08.2023 तक (कुल 11 दिन) (v) दिनांक 01.11.2023 से 24.11.2023 तक (कुल 24 दिन)	झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के अंतर्गत उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव ।
